प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह पुत्र श्री महीलाल, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6762/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-02-03-2021) दिनांक-15-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह पुत्र श्री महीलाल, भैंसारा, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 14-06-2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी व पुत्री के साथ घरेलू सामान खरीदने बाजार जा रहे रामू नामक व्यक्ति की तमंचों से फायरिंग कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-538/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-8, मथुरा के आदेश दिनांक 26.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक 15 वर्ष, 06 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 14-06-2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी व पुत्री के साथ घरेलू सामान खरीदने बाजार जा रहे रामू नामक व्यक्ति की तमंचों से फायरिंग कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह पुत्र श्री महीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह (बन्दी संख्या-331/2007) पुत्र श्री महीलाल, भैंसारा, थाना-राया, जनपद-मथुरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-133/2021/1008(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-133/2021/1008/22-2-2021-17(556)/2021

दिनांक 05 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह पुत्र श्री महीलाल, भैंसारा, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 14-06-2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी व पुत्री के साथ घरेलू सामान खरीदने बाजार जा रहे रामू नामक व्यक्ति की तमंचों से फायरिंग कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-538/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-8, मथुरा के आदेश दिनांक 26.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक 15 वर्ष, 06 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 14-06-2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पत्नी व पुत्री के साथ घरेलू सामान खरीदने बाजार जा रहे रामू नामक व्यक्ति की तमंचों से फायरिंग कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दर्याव सिंह पुत्र श्री महीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।